

91. पंचायत अभिलेखों इत्यादि तक निरीक्षण परिधि और पंहुच।
92. निरीक्षण रिपोर्ट।

### अध्याय—11

#### पंचायती राज लोक निर्माण नियम

93. संकर्मों के निष्पादन की रीति।
  94. प्राक्कलन तैयार करना।
  95. प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी।
  96. संकर्म प्रदान करना और करार इत्यादि पर हस्ताक्षर करना।
  97. संकर्मों के आबंटन के लिए कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करना।
  98. कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।
  99. समय का विस्तारण।
  100. विद्युत संकर्म।
  101. माप पुस्तिका का अनुरक्षण।
  102. उपस्थिति नामावाली (मस्टररोल)।
  103. पंचायत के संकर्मों के लेखे बनाए रखना।
  104. पर्यवेक्षण/तकनीकी मार्गदर्शन।
  105. संकर्मों के निरीक्षण की अवस्था।
  106. अन्तिम निर्धारण और समापन रिपोर्ट।
  107. कार्य के लिए निधि निर्मुक्त करना।
  108. सर्तकता समिति की भूमिका।
  109. अवशिष्ट शवितयां।
  110. कठिनाईयों को दूर करने की शवित।
  111. निरसन और व्यवृत्तियां।
- परिशिष्ट “क” से परिशिष्ट परिशिष्ट—छं |
- प्ररूप—1 से प्ररूप—31 |

(घ) चल रहे या पूर्ण किए गए संकर्म ।

**92. निरीक्षण रिपोर्ट.**— (1) पंचायतों का निरीक्षण करने वाले, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के विभागों के अधिकारी/पदधारी सम्बद्ध पंचायत को अपने निरीक्षण की रिपोर्ट जारी करेंगे। इन रिपोर्टों को सम्बद्ध पंचायत के कार्यालय में उसी रीति में निपटाया जाएगा जैसेकि इन नियमों के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट पर निपटान किया जाता है। विभागीय अधिकारी, निरीक्षण के समय पर पूर्वतन निरीक्षण रिपोर्टों के साथ-साथ संपरीक्षा रिपोर्टों के व्ययन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

(2) पंचायतों के निरीक्षण का संचालन करने वाले, यथास्थिति, उपायुक्त या उप-खण्ड अधिकारी (सिविल), निदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

## अध्याय—11

### पंचायती राज लोक निर्माण नियम

**193. संकर्मों के निष्पादन की रीति.**— (1) पंचायत, खाता—क और खाता—ख में उपलब्ध निधियों में से संकर्म निष्पादित करेगी,—

(क) ग्राम पंचायत की दशा में, अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति द्वारा;

(ख) पंचायत समिति और जिला परिषद् की दशा में सम्बद्ध पंचायत समिति और जिला परिषद् द्वारा गठित संकर्म समिति द्वारा, जो निम्नलिखित से समाविष्ट होगी,—

(i) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, संकर्म समिति के अध्यक्ष के रूप में;

(ii) सम्बद्ध पंचायत समिति या जिला परिषद् के दो से अनधिक सदस्य, जिसमें से एक उस वार्ड का सदस्य होगा, जिसमें संकर्म निष्पादित किया जाना है; और

(iii) पंचायत समिति की दशा में पंचायत निरीक्षक और जिला परिषद् की दशा में सचिव संकर्म समिति का सदस्य—सचिव होगा जो संकर्म के निष्पादन पर उपगत व्यय के लेखे के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु प्रत्येक संकर्म के लिए एक पृथक संकर्म समिति गठित की जाएगी।

(ग) रजिस्ट्रीकृत निकाय जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल, वाटरशैड विकास समिति आदि के माध्यम से; और

1. अधिसूचना संख्या: पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा नियम 93 प्रतिस्थापित किया गया।

(घ) यदि संकर्म की लागत पाँच लाख रुपए से अधिक है तो कुटेशन या निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकार के माध्यम से: परन्तु संकर्म के निष्पादन के लिए प्रथम अधिमान संकर्म समिति को दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत निकाय को एक समय पर एक ही संकर्म दिया जाएगा और यह कि उक्त निकाय को संकर्म तभी आबंटित किया जाएगा यदि इसने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की समय अवधि पूर्ण कर ली है और इसके साक्ष्य के रूप में, इसे कार्य को आबंटित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व चार्टड अकाउटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित इसके पूर्ववर्ती तीन वर्ष के लेखों की संपरीक्षित विवरणियां देनी होंगी।

(2) यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय, वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानदण्डों का सख्ती से पालन करते हुए अपने कृत्यों/कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा/ होगी:—

(i) अपने एक सदस्य को ऐसी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करेगा;

(ii) यह कार्य के निष्पादन के लिए पंचायत के साथ करार हस्ताक्षरित करेगा जिसे 'यथास्थिति' सम्बद्ध पंचायत की ओर से सचिव और संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकर्म का निष्पादन समुचित रूप से हुआ है, इसके कार्य के निष्पादन की पद्धति के बारे में, इसके पर्यवेक्षण के बारे में, सामग्री के एकत्रीकरण आदि के बारे में यह अपने स्तर पर विनिश्चय करेगा:

परन्तु स्कीम के दिशा-निर्देश जिनके अन्तर्गत निधियां उपलब्ध करवाई गई हैं; कार्य के निष्पादन की रीति के विनिश्चय के लिए अभिभावी होंगे;

(iv) संकर्म समिति को सम्बद्ध पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय की बाबत उपगत किए जाने वाले व्यय के लिए संदाय करने और श्रमिकों आदि की मजदूरी के संदाय के लिए निधि दी जाएंगी। समिति साधारणतया अपने पास कोई राशि नहीं रखेगी और पंचायत से निधि की प्राप्ति के सात दिन के भीतर संदाय करेगी और समय-समय पर सदस्य-सचिव को समस्त वाउचर प्रस्तुत करेगी; और

(v) संकर्म समिति श्रमिकों को, न्यूनतम मजदूरी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर रखेगी। सामग्री

को इन नियमा के अध्याय—8 के उपबन्धों के अन्तर्गत क्रय/उपाप्त किया जाएगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायतों के संकर्मों को इन नियमों के अधीन विभागीय स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता, ब्लॉक इंजीनियर, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से निष्पादित किया जा सकेगा।}

**94. प्राक्कलन तैयार करना।**— (1) सभी संकर्म जिनकी लागत पचास हजार रुपए से अधिक है प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी के पश्चात् ही पंचायतों द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन पर पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। मानक संकर्मों, जैसेकि स्कूल के कमरे, महिला मण्डल भवन, ग्रामीण मार्ग, सिंचाई कुहलों इत्यादि के लिए 1.1.2001 को जारी ग्रामीण विकास विभाग के सिविल इंजीनियरी निर्देशिका में दिए गए मानक प्राक्कलन प्रयोग में लाए जाएंगे:

परन्तु यह कि स्थल स्थितियों के कारण इन मानक प्राक्कलनों से अधिक विचलन की दशा में मानक प्राक्कलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जोकि 'परिशिष्ट-'घ' के अनुसार मंजूरी अनुदत्त करने को सक्षम है, उपान्तरित किए जा सकते हैं।

(2) संकर्म को प्रारम्भ करने से पूर्व पच्चीस हजार रुपए से कम लागत के संकर्म के लिए, प्राक्कलन अपेक्षित नहीं होंगे। तथापि तकनीकी मंजूरी देने को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मौटे तौर पर लागत प्राक्कलन दिया जाएगा।

<sup>2</sup>{(3) ग्राम पंचायतों द्वारा परिशिष्ट-घ में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर निष्पादित समस्त संकर्मों की बाबत, संकर्मों के लिए सभी प्राक्कलनों को यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा। पंचायत समिति और जिला परिषद् की दशा में संकर्मों के समस्त प्राक्कलनों को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा और जहां संकर्म की लागत पचास हजार रुपए से कम हो वहां कच्चा लागत प्राक्कलन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा।}

(4) इस नियम के अधीन तैयार किए जाने वाले प्राक्कलनों में निम्नलिखित विवरण होंगे:—

- (i) भूमि की उपलब्धता;
- (ii) दूरी दर्शने वाला मार्गदर्शन चार्ट जहां से सामग्री लानी है;
- (iii) सामग्री की आवश्यकता और विद्यमान बाजार दर पर आधारित लागत;

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों, चिन्हों और अक्षर "परिशिष्ट-'क'" के स्थान पर रखे गये।

2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा उप-नियम (3) के स्थान पर रखा गया।

(iv) सुभिन्न रंगों में विद्यमान संरचना को दर्शाने वाले भवन/ संरचना/सिविल संकर्म के प्रस्तावित परिवर्तन के प्लान और प्रस्तावित मूल निर्माण ; और

(v) परिरेखा स्थल प्लान ;

(5) पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संकर्मों के प्राक्कलन तैयार करते समय, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की नवीनतम अनुसूची प्रयोग में लाई जाएगी।

(6) प्राक्कलन में ठेकेदार का लाभ या उपरी—खर्च सम्मिलित नहीं होगा यदि कार्य ठेकेदार के सिवाय किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। मंजूर प्राक्कलन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक होन की सम्भावना की दशा में, पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और <sup>1</sup>{परिशिष्ट—‘घ’} के अधीन विनिर्दिष्ट तकनीकी अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध पंचायत को तुरन्त प्रस्तुत किया जाएगा।

**95. प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी—**(1) <sup>2</sup>{परिशिष्ट—‘घ’} के अधीन तकनीकी मंजूरी देने को प्राधिकृत तकनीकी प्राधिकारी, अभिलेख के लिए आगामी उच्चतर तकनीकी प्राधिकारी को प्राक्कलन की द्वितीय प्रति प्रस्तुत करेगा (अधिशासी अभियन्ताओं के लिए लागू नहीं)। प्रत्येक तकनीकी मंजूरी प्राधिकारी, प्ररूप—31 में मंजूर प्राक्कलन का रजिस्टर बनाए रखेगा।

(2) एक बार दी गई तकनीकी मंजूरी/प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी, संकर्म के पूर्ण होने तक विधिमान्य रहेगी। यदि, विशेष संकर्म के अधीन यथास्थिति, राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारण द्वारा निधियां मंजूर की गई हैं और जहां तकनीकी मंजूरी, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने वाले प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्त में विनिर्दिष्ट है उस दशा में इसके लिए ऐसे ही मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू होंगे।

**96. संकर्म प्रदान करना और करार इत्यादि पर हस्ताक्षर करना—**<sup>3</sup>{(1) नियम 93 के अधीन, संकर्म समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से कार्य के निष्पादन की दशा में, पंचायत, ऐसी समिति या निकाय के साथ, परिशिष्ट—‘ड’ पर दिए गए प्ररूप में करार करेगी।}

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों, चिन्हों और अक्षर “परिशिष्ट—‘क’ के स्थान पर रखे गये।

2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों, चिन्हों और अक्षर “परिशिष्ट—‘क’ के स्थान पर रखे गये।

3. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा उप-नियम (1) के स्थान पर रखा गया।

(2) उप—नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब <sup>1</sup>[राज्य सरकार से अन्यथा बाह्य निधिकरण अभिकरण} द्वारा अपेक्षित हो, तो पंचायत उक्त अभिकरण के साथ करार करेगी।

**97. संकर्मों के आवंटन के लिए कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करना।**— (1) जब तक कि संकर्म, इन नियमों के नियम 93 के अधीन विभाग या <sup>2</sup>[संकर्म समिति] या रजिस्टीकृत निकाय के माध्यम से न किया जाना हो, तो संकर्म पंचायत द्वारा क्षेत्र में व्यापक प्रचलित होने वाले कम से कम दो मुख्य समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से निविदाओं को आमंत्रित करके निष्पादित किए जाएंगे जब संकर्म की लागत पांच लाख रुपये से अधिक हो।

(2) पांच लाख रुपए के मूल्य से अधिक की लागत के समस्त संकर्मों के लिए मद्वार निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निविदा दस्तावेज को तैयार करने और निविदा और संकर्म आदेश प्रदान करने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसरणीय है।

**98. कोटशन/निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।**— (1) संकर्म के निष्पादन के लिए कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) ग्राम पंचायत के पांच लाख रुपए के मूल्य से अधिक और दस लाख रुपए तक की लागत के, संकर्मों की दशा में इसके सचिव के माध्यम से, निविदाएं आमंत्रित करके जो निविदाओं को आमंत्रित करने और अन्तिम रूप देने के लिए सम्बद्ध सहायक अभियन्ता की सहायता ले सकेगा और उक्त सहायक अभियन्ता, सचिव द्वारा वांछित सहायता उसे प्रदान करेगा, और

(ख) पंचायत के दस लाख रुपए मूल्य से अधिक की लागत के संकर्मों की दशा में इसके सचिव के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके, जो निविदाओं को आमंत्रित करने और अन्तिम रूप देने के लिए, सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता की सहायता ले सकेगा। और उक्त अधिशासी अभियन्ता, सचिव द्वारा वांछित सहायता उसे प्रदान करेगा।

**99. समय का विस्तारण।**— यदि निष्पादन के लिए पंचायत के संकर्म ठेकेदार या किसी अन्य अभिकरण को सौंपे जाते हैं, और उक्त संकर्म ऐसे ठेकेदार/अन्य अभिकरण के नियन्त्रण से बाहर कारणों से नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं होता है तो उसका संकर्म के निष्पादन के लिए दी गई समय सीमा सम्बद्ध पंचायत द्वारा, उन परिस्थितियों के उत्पन्न होने, जिनके कारण उक्त संकर्म समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका, के बीस दिन के भीतर,

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश”। तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “निधिकरण अभिकरण” के स्थान पर रखे गय।

2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश”। तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गय।

उक्त ठेकेदार/अभिकरण द्वारा किए आवेदन पर सम्बद्ध पंचायत द्वारा बढ़ाई जा सकेगी और पंचायत समय सीमा को यक्तियुक्त रूप से वहां बढ़ा सकेगी।

**100. विद्युत संकर्म।—** पंचायत के समस्त विद्युत संकर्म तकनीकी प्राधिकारी के अनुमोदन से या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे।

**101. माप पुस्तिका का अनुरक्षण।—** संकर्मों के रख-रखाव के लिए माप पुस्तिका ऐसे प्ररूप में बनाई जाएगी जैसी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित हो। माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव निष्पादिन अभिकरण का विचार किए बिना समस्त संकर्मों के लिए अनिवार्य होगा। माप पुस्तिका, निम्नलिखित रीति में बनाई जाएगी:—

- (क) तीन लाख रुपए से कम लागत के समस्त संकर्मों के लिए, कोई भी ब्यौरे वार माप पुस्तिका आवश्यक नहीं होगी और माप पुस्तिका में केवल प्रकम अनुसार प्रविष्टियां की जाएंगी;
  - (ख) तीन लाख या इससे अधिक लागत के समस्त संकर्मों के लिए माप पुस्तिका में ब्यौरे वार माप दर्ज किए जाएंगे;
  - (ग) तकनीकी सहायकों को माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और कनिष्ठ अभियंताओं की माप पुस्तिकाओं को सहायक अभियंता प्रतिहस्ताक्षरित करेगा; और
  - (घ) सम्बद्ध अधिशासी अभियन्ता द्वारा समस्त माप पुस्तिकाएं पंचायत के सचिव को, यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता को आगे प्रेषित करने के लिए जारी की जाएंगी।
- (2) तकनीकी प्राधिकारी माप पुस्तिका में प्रविष्टियां करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—
- (i) माप पुस्तिका में समस्त प्रविष्टियां स्याही से निश्पवाद रूप से की जाएंगी;
  - (ii) संकर्म के पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भोतर संकर्मों की अन्तिम पैमार्झश कर उसे अभिलिखित किया जाएगा, और खण्ड (i) के उपबन्धों का अनुपालन न होने की दशा में, पैमार्झश को अभिलिखित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विलम्ब के कारणों को अभिलिखित करेगा।
  - (iii) जब कोई संदाय किया गया है या संकर्म की पैमार्झश की गई है, तो पैमार्झशों को अभिलिखित करने वाली बही का प्रत्येक पृष्ठ लाल स्याही से तिरछी रेखाओं द्वारा रेखाकिंत किया जाएगा और संदाय वाउचर की संख्या और तारीख के सन्दर्भ में दी गई लागत के सार पर, लाल स्याही से पृष्ठांकित किया जाएगा ;

- (iv) जब माप पुस्तिका / चैक माप पुस्तिका पूर्णतः लिख दी गई हो और उसमें संदाय किए जा चुके हैं, तो सहायक अभियन्ता द्वारा उसकी सावधानीपूर्वक संवीक्षा की जाएगी;
- (v) पंचायत से सम्बन्धित समस्त माप पुस्तिकाएं, सचिव द्वारा प्राप्त करने पर तुरन्त कमानुसार संख्यांकित की जाएंगी और उससे सम्बन्धित रजिस्टर पंचायत के कार्यालय में इसके सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों/पदाधारियों द्वारा, प्रत्येक रजिस्टर में कम संख्या को दर्शाते हुए, यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियंता का नाम जिसे जारी किया गया है, उसमें जारी करने की तारीख और इसके वापस करने की तारीख को दर्शाते हुए बनाई रखी जाएंगी ताकि इसकी, अभिलेख के लिए, पंचायत को अंतिम वापसी की निगरानी रखी जा सके। किसी भी माप पुस्तिका को प्रयोग में लाने से पूर्व, इसके प्रथम पृष्ठ पर तारीख सहित सचिव के हस्ताक्षर और मोहर होगी; और
- (vi) मानक बहियों के रूप में प्रयुक्त माप पुस्तिकाएं वर्णकम में संख्यांकित की जाएंगी ताकि इनकी संख्या साधारण माप पुस्तिकाओं जिनमें कि विस्तृत पैमाईशें अभिलिखित हैं, जब भी संकर्म वास्तव में किया गया है, में दी गई संख्या से आसानी से पहचानी जा सकेगी।

<sup>1</sup>{(3) परिशिष्ट-'घ' में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, यथास्थिति, तकनीकी सहायक या कनिष्ठ अभियन्ता अथवा ब्लॉक इंजीनियर, माप पुस्तिका में प्रविष्टियां दर्ज करेंगे। पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संकर्मों की दशा में, माप पुस्तिका में प्रविष्टियां कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की जाएंगी:

परन्तु माप पुस्तिका में प्रविष्टियां, यथास्थिति, सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता द्वारा, परिशिष्ट-'घ' में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर, परीक्षण पड़ताल के अध्यधीन होंगी।}

**102. उपस्थिति नामावाली (मस्टररोल).**— (1) पंचायत के संकर्म का विभागीय स्तर पर दैनिक मजदूरों द्वारा निष्पादन करने की दशा में, सचिव स्वयं या उसके अधीन कोई अन्य अधिकारी/पदाधारी ऐसे प्ररूप में नामावली बनाए रखेगा जैसी कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयुक्त की गई है। उपस्थिति नामावलियां जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित करवाई जाएंगी।

(2) सम्बद्ध पंचायत, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी से अपनी आवश्यकता के अनुरूप, उसे अध्यपेक्षा देकर उपस्थिति नामावली प्ररूप अभिप्राप्त

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) ४/२०११-II.- दिनांक ६ मार्च, २०१७ राजपत्र, हिमाचल प्रदे०” तारीख १४-३-२०१७ के पृष्ठ ८२०१-८२११ पर प्रकाशित द्वारा उप-नियम (3) अन्तस्थापित किया गया।

करेगी। पंचायत का सचिव तकनीकी प्राधिकारी या संकर्म पर्यवेक्षण करने वाले प्राधिकारी को उपस्थिति नामावलियां जारी करेगा।

(3) चाहे संकर्म, यथारिति, <sup>1</sup>[संकर्म समिति] या रजिस्टोकृत निकाय के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है फिर भी समस्त संकर्मों की उपस्थिति नामावली अपेक्षित होगी।

(4) पंचायत का सचिव उपस्थिति नामावली जारी करने हेतु रजिस्टर बनाए रखेगा।

(5) दैनिक मजदूरों द्वारा किए गए संकर्म की दशा में, संकर्म का प्रभारी व्यक्ति उपस्थिति नामावली बनाए रखेगा और समस्त संदाय पंचायत के सचिव द्वारा उपस्थिति नामावलियों को पारित करने के पश्चात् किए जाएंगे। ऐसे स्थापन की बाबत, संदाय के बारे में निस्तारण पंजिया अपेक्षित नहीं होगी, क्याकि पाने वाले की अभिस्थीकृति उपस्थिति नामावली पर प्राप्त की जाएगी।

(6) उपस्थिति नामावली पर प्रत्येक संदाय, उपलब्ध पदधारी द्वारा किए जाएंगे, जो इसका साक्षी रहेगा। वह व्यक्तिगत रूप में या समूहों को किए गए संदायों को, प्रमाणित करेगा और साथ ही उपस्थिति नामावलों के पाद पर अकों और शब्दों, दोनों में उन्हे विनिर्दिष्ट करेगा। प्रत्येक तारीख को संदत्त कुल रकम और यदि किसी समय असंदत्त रही है, तो उसके ब्यौरे बकाया रजिस्टरों पर अग्रेषित किए जाएंगे।

(7) उपस्थिति नामावली की असंदत्त मदें मासिक लेखों को बन्द करते समय सचिव द्वारा सत्यापन सहित बकाया रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएंगी। इन मदों का संदाय सचिव द्वारा, मजदूरों की मांग पर या सम्बद्ध वाउचर की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाएगा।

**103. पंचायत के संकर्मों के लेखे बनाए रखना।**— (1) पंचायत के संकर्मों के निष्पादन की बाबत लेखे, इसके सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों/पदाधारियों द्वारा बनाए रखे जाएंगे। संकर्मों के निष्पादन से सम्बद्ध, खरीदी गई समस्त सामग्री, किया गया संदाय या सुसंगत अभिलेख की मूल रसीदें रखी जाएंगी और संपरीक्षा के अध्यधीन होंगी।

(2) जब संकर्म <sup>2</sup>[संकर्म समिति] या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने हैं, तो, यथारिति, <sup>3</sup>[संकर्म समिति] या रजिस्ट्रीकृत निकाय, मूल विपत्र, वाउचर, संदायों की रसीदें और अन्य सुसंगत अभिलेख, यदि कोई हैं, सहित ब्यौरे बार लेखे बनाए रखेगा, और उसे पंचायत को, इसके सचिव के माध्यम से प्रत्येक चरण में प्रस्तुत किया जाएगा।

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गये।

2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गये।

3. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गये।

(3) यथास्थिति, <sup>1</sup>{संकर्म समिति} या रजिस्टोकृत निकाय, या तो इसके द्वारा प्रकल्पित प्रोफर्मों/प्ररूपों पर नामावली बनाए रखेगी या यह सम्बद्ध पंचायत से नामावली प्ररूप प्राप्त करेगी।

(4) जब संकर्म पंचायत द्वारा कोटेशनज/निविदाएं आंमत्रित/निष्पादित किए जाते हैं, तो लेखे उसी रीति में बनाए रखे जाएंगे जैसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए रखे जाते हैं।

(5) जब पंचायत के संकर्म विभागीय स्तर पर निष्पादित किए जाते हैं, तो लेखे पंचायत के सचिव द्वारा स्वयं या उसके अधीन अधिकारियों/पदाधारियों द्वारा बनाए रखें जाएंगे।

**104. पर्यवेक्षण/तकनीकी मार्गदर्शन।**— (1) यथास्थिति, ग्राम पंचायतें या पंचायत समितियां या जिला परिषद, स्वयं अपने द्वारा निष्पादित संकर्मों के लिए उत्तरदायी होंगी। वे निम्नलिखित तकनीकी प्राधिकारी के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता ले सकेंगे और ऐसे तकनीकी प्राधिकारी इन नियमों के अधीन सम्बद्ध पंचायत को ऐसी सेवा सहायता देंगे:—

ग्राम पंचायत —————— तकनीकी सहायक।

पंचायत समिति —————— कनिष्ठ अभियन्ता।

जिला परिषद् —————— सहायक अभियन्ता:

परन्तु उन मामलों में जहां, इस उप-नियम के अधीन तकनीकी प्राधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो पंचायत विनिर्दिष्ट संकर्मों के लिए, यदि उसके पास खाता-क में निधियां उपलब्ध हैं तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं ले सकती हैं। खाता-ख में से संकर्मों के निष्पादन के लिए तकनीकी प्राधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में, पंचायत विनिर्दिष्ट संकर्मों के लिए तकनीकी व्यक्तियों को भाड़ पर रख सकती है। यदि स्कीम, जिसके अधीन निधियां उपलब्ध हैं, इसकी अनुज्ञा दें, इस प्रकार भाड़ पर लिया गया व्यक्ति पंचायत या ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तकनीकी अधिकारियों/पदाधारियों के तकनीकी मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे।

(2) तकनीकी प्राधिकारी, समय-समय पर संकर्मों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करेगा और इन नियमों या निदेशक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य दिशा-निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार परीक्षण जांच संचालित करेगा। साधारणतः ऐसी परीक्षण जांच निम्नलिखित रीति में संचालित की जाएंगी:—

(i) ग्राम पंचायत द्वारा, <sup>2</sup>{संकर्म समिति} या रजिस्टोकृत निकाय के माध्यम से या कोटेशन/निविदाएं मंगवा कर निष्पादित संकर्म की दशा में, पैमाइश तकनीकी सहायक द्वारा की जाएगी और

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गय।

2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गय।

सम्बद्ध कनिष्ठ अभियंता तकनीकी सहायक द्वारा <sup>1</sup>{तीन लाख} रूपए तक की लागत के पैमार्झश किए गए संकर्मों के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करेगा। <sup>2</sup>{तीन लाख} रूपए की लागत और इससे अधिक परन्तु <sup>3</sup>{पांच लाख} रूपये से कम संकर्म की पांच प्रतिशत परीक्षण जांच, सहायक अभियंता द्वारा संचालित की जाएगी और संकर्म का मूल्य <sup>4</sup>{पांच लाख} रूपए से अधिक होने की दशा में, परीक्षण जांच दस प्रतिशत होगी। स्लैब डाले जाने की दशा में कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति अनिवार्य होगी ;

- (ii) ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर निष्पादित किए संकर्मों की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा परीक्षण जांच उसी रीति में संचालित की जाएगी जैसी उप-खण्ड (i) में दी गई है;
- (iii) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, अपने स्तर पर <sup>5</sup>{संकर्म समिति} या रजिस्टोकृत निकाय के माध्यम से या कोटेशन / निविदांए मंगवाकर, निष्पादित किए गए संकर्मों की दशा में, नियम 105 में यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक स्तर पर शतप्रतिशत परीक्षण जांच कनिष्ठ अभियंता द्वारा और दस प्रतिशत सहायक अभियंता द्वारा अनिवार्य होगी; और
- (iv) विभागीय स्तर पर निष्पादित संकर्मों की दशा में, उसका निष्पादन, यथास्थिति, कनिष्ठ अभियन्ता या सहायक अभियन्ता के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में किया जाएगा, जोकि उक्त संकर्म का प्रभारी है और दस लाख रूपए से अधिक लागत के संकर्मों का पच्चीस प्रतिशत परीक्षण, अधिशासी अभियन्ता को जांच के अध्यधीन होगा:

परन्तु अधिशासी अभियंता, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा ऐसी रीति में निष्पादित समस्त संकर्मों के बारे में, किसी समय संकर्म की लागत या विचार किए बिना परीक्षण जांच संचालित कर सकता है।

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “पचास हजार” के स्थान पर रखे गय।
2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “पचास हजार” के स्थान पर रखे गय।
3. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर पकाशित द्वारा शब्दों “तीन लाख ” के स्थान पर रखे गय।
4. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “तीन लाख ” के स्थान पर रखे गय।
5. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागी समिति” के स्थान पर रखे गय।

**105. संकर्मों के निरीक्षण की अवस्था।—** संकर्मों के निरीक्षण और परीक्षण जांच की अवस्था निम्नलिखित होगी:—

(i) भवन संकर्मः

- (क) नींव स्तर ;
- (ख) फर्श (पलीन्थ) स्तर ;
- (ग) छत स्तर; और
- (घ) समापन कार्य ।

(ii) सड़कें, रास्ते और गली पटरीः

- (क) रूपरेखा काटना ;
- (ख) सम्पूर्ण काटना ;
- (ग) सोलिंग ;
- (घ) पथर विछाना (वाईरिंग) ; और
- (ङ) रोड़ी विछाना (कंकरीटिंग) ।

(iii) सिचाई चैनल, नालियां, कुहलें:

- (क) रूपरेखा काटना ;
- (ख) पूर्ण खुदाई ; और
- (ग) पक्का करना ; (लाईनिंग) ।

(iv) पुल और नाले:

- (क) साथ लगी नींव ;
- (ख) नीचे वाली संरचना ;
- (ग) उपर वाली संरचना का भी निर्माण ;
- (घ) स्सैन्शन केबल डालना; और
- (ङ) आर.सी.सी स्लैब डालना ।

**106. अन्तिम निर्धारण और समापन रिपोर्ट।—** <sup>1</sup>{(1) अंतिम संदाय को देने से पूर्व अन्तिम निर्धारण रिपोर्ट निम्नलिखित रीति में दी जाएगी:—

(i) ग्राम पंचायत की दशा में, तीन लाख रुपए तक की लागत के संकर्मों के लिए तकनीकी सहायक द्वारा और तीन लाख रुपए से अधिक की लागत के संकर्मों के लिए कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;

---

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा उप-नियम (1) के स्थान पर रखा गया।

- (ii) पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा;
- (iii) पंचायत के पांच लाख रुपए से अधिक और दस लाख रुपए तक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में सहायक अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य होंगे; और
- (iv) पंचायत के दस लाख रुपए से अधिक की लागत के समस्त संकर्मों की दशा में अधिषासी अभियन्ता के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे ]}

(2) संकर्म के पूर्ण होने पर, कार्यपालक अभिकरण सम्बद्ध पंचायत को समापन रिपोर्ट देगा और अन्तिम संकर्म उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होगा तथा अन्तिम संदाय तकनीकी प्राधिकारी द्वारा अन्तिम निर्धारण रिपोर्ट को देने पर निष्पादन करने वाले अभिकरण को किया जाएगा और उक्त निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त करने पर, सम्बद्ध पंचायत समापन प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(3) खाता—क के अधीन निष्पादित पंचायत के संकर्मों की दशा में, सम्बद्ध पंचायत अपने अभिलेख में संकर्म का समापन प्रमाण पत्र रखेगी और खाता—ख के अधीन निष्पादित संकर्म की दशा में, समापन प्रमाण पत्र की प्रति उस अभिकरण को दी जाएगी, जिसने संकर्म के निष्पादन के लिए निधि निर्मुक्त की है।

**107. कार्य के लिए निधि निर्मुक्त करना।—**(1) सम्बद्ध पंचायत द्वारा, संकर्म के निष्पादन के लिए, यथास्थिति, <sup>1</sup>[संकर्म समिति] या रजिस्टीकृत निकाय के माध्यम से निधि निम्नलिखित रीति में निर्मुक्त की जाएगी:—

- (क) प्रथम किस्त, संकर्म के प्रारम्भ करने पर, संकर्म की अनुमानित लागत का पच्चीस प्रतिशत;
- (ख) द्वितीय किस्त, तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मौका/निरीक्षण पैमार्झ के पश्चात परीक्षण जांच करने और कम से कम तीस प्रतिशत संकर्म सम्पूर्ण होने के अध्यधीन, संकर्म की अनुमानित लागत का पच्चीस प्रतिशत;
- (ग) तृतीय किस्त, कम से कम पचास प्रतिशत संकर्म सम्पूर्ण होने के पश्चात् संकर्म की अनुमानित लागत का पच्चीस प्रतिशत;
- (घ) चतुर्थ और अन्तिम किस्त, संकर्म के सम्पूर्ण होने के पश्चात् संकर्म की अनुमानित लागत का पच्चीस प्रतिशत;
- (ङ) पचास हजार रुपए से कम लागत के संकर्म के लिए निधि दो किस्तों में निर्मुक्त की जाएगी, जिसका पचास प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में संदर्भित किया जाएगा और शेष पचास प्रतिशत

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश”। तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागिता निकाय” के स्थान पर रखे गय।

द्वितीय किश्त के रूप में कार्य के सम्पूर्ण होने पर निर्मुक्त किया जाएगा।

(2) पंचायत द्वारा, विभागीय स्तर पर निष्पादित संकर्मों के लिए, नामावली और सामग्री इत्यादि के लिए संदाय, वास्तविक बिल पर किया जाएगा।

(3) संविदा/संकर्म आदेश के माध्यम से निष्पादित संकर्मों के लिए, सामान्यत अग्रिम संदाय नहीं किया जाएगा और सदाय निविदा विनिर्देशनों के अनुसार किया जाएगा। पंचायत, यदि, यह आवश्यक समझे, संविदाकार को इसके सचिव या किसी अन्य नियमित कर्मचारी के माध्यम से परिचालन संदाय के लिए निधि निर्मुक्त करेगी।

**108. सर्तकता समिति की भूमिका।**— सर्तकता समिति को, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार इन संकर्मों के बारे में बनाए रखे गए अभिलेख और लेखों सहित, ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जा रहे समस्त संकर्मों का निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।

**109. अवशिष्ट शक्तियां।**— उन मामलों में, जिनके लिए नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग संहिता में बनाए गए उपबन्धों का अनुसरण किया जाएगा। किसी विरोधाभास की दशा में, उसे निदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसके उपर उसका अधिनिर्णय अन्तिम होगा।

**110. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।**— यदि, इन नियमों के निर्वचन या कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो मामल को राज्य सरकार को स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा, जोकि किसी बात को करने के लिए, आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाईयों को, जो इन नियमों और अधिनियम के उपबन्धों के साथ असंगत नहीं हैं, दूर करने के लिए सक्षम होगी।

**111. निरसन और व्यवृत्तियां।**— (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज लोक निर्माण विभाग मैनुअल, 1979 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जनरल) फाईनेंसियल, बजट, अकाउंट, ओडिट, टेक्सैशन, सर्विसज एण्ड अलाउसींज रूल्ज, 1975 का एतद्वारा निसन किया जाता है:

परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जनरल) फाईनशियल, बजट, अकाउंट, ओडिट, टेक्सैशन, सर्विसज एण्ड अलाउसींज रूल्ज, 1975 के नियम 34, 35, 125 से 136 और 151 से 185, उनम विनिर्दिष्ट प्ररूपों, यदि कोई हैं, सहित तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे, जब तक कि वे अधिनियम के अधीन तस्थानी नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

### परिशिष्ट 'क'

**ग्राम पंचायत की बाबत विभिन्न प्रकार के व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी  
बजट एस.ओ.ई.  
शीर्ष**

---01	वेतन	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। (1) राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई भर्ती नहीं की जाएगी। (2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भत्ते के संदाय की अनुमति नहीं होगी।
---02	मजदूरी	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।
---03	यात्रा व्यय	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। निजी यान द्वारा यात्रा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होगी।
---04	कार्यालय व्यय: (क) लेखन सामग्री (ख) डाक खर्च (ग) विद्युत (घ) जल <sup>1</sup> {(ड•) फर्नीचर	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। (i) केवल 50,000/- (पचास हजार) रुपए तक ग्राम पंचायत, (ii) केवल 50,000/- (पचास हजार) रुपए से अधिक और एक लाख रुपए तक जिला पंचायत अधिकारी; और (iii) केवल 1,00,000/- (एक लाख) रुपए से अधिक निदेशक द्वारा,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीनः—

- (i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं;
- (ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;

1. अधिसूचना संख्या: पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख 14-3-2017 के पुष्ट 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-04 के अधीन मद (ड) और (च) के स्थान पर रखी गई।

- (iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;
- (iv) फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;
- (v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और
- (vi) क्रय किए जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगा:—
- (क) प्रधान: मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्द, फुटरेस्ट, फ्लोर कवरिंग मैटिंग / दरी, और स्टील की अलमारी;
  - (ख) बैठक हाल: कुर्सियां, फ्लोर कवरिंग मैटिंग / दरी, दीवार की घड़ी, पर्द और मेज;
  - (ग) पंचायत सचिव: मेज, कुर्सियां, स्टील की अलमारी;
  - (घ) अन्य ग्राम पंचायत सेवक: प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज;
  - (ङ) टाइप राइटर, कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य उपसाधन।}
- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ----05 वर्दियां                       | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां<br>(राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों और क्रय पर)।         |
| ----06 आतिथ्य / बैठकें                | राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अनुमोदित पूर्ण शक्तियां।                               |
| ----07 भाडे की दर और कर               | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।  |
| ----08 मोटर यान                       |  |
| (i) पी.ओ.एल.                          | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।  |
| (ii) रख—रखाव और मरम्मत                | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।  |
| ----09 पंचायत घरों का निर्माण         | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।  |
| ----10 निवाचित प्रतिनिधियों को मानदेय | ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां (राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित दरों और क्रम पर)। |
| ----11 ऋण                             | नियम-28 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शनों के अध्यधीन।   |

— <sup>1</sup> {12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}	
— <sup>2</sup> {13 विज्ञापन / प्रचार	ग्राम पंचायत केवल 5000/- (पांच हजार) रुपए तक प्रतिवर्ष, जिला पंचायत अधिकारी 5000/- (पांच हजार) रुपए से अधिक और केवल 10,000/- (दस हजार) रुपए तक प्रतिवर्ष तथा निदेशक 10,000 (दस हजार) रुपए से अधिक प्रतिवर्ष;
	निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन:-
	(i) ग्राम पंचायत, विज्ञापन देने के लिए, उक्त प्रयोजन का औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, जो ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् मंजूरी प्रदान कर सकेगा;
	(ii) विज्ञापन / प्रचार, राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;
	(iii) विज्ञापन / प्रचार, केवल पंचायत के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट अनुपालन से संबंधित होगा;
	(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा बल्कि यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और
	(v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं की जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है;}
—14 अपने कृत्यों का निष्पादन	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।
—15 प्रत्यायोजित कृत्यों हेतु राज्य वित्त आयोग अनुदान	उन स्कीमों के लिए कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है जो पहले ही राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित हैं। तथापि ग्राम पंचायत द्वारा ली गई नई स्कीमों के लिए अनुमोदन आवश्यक होगा।
—16 अन्य पंचायतों को अनुदान	ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।
—17 प्रकीर्ण,— <sup>3</sup> (i) विधिक प्रभार	ग्राम पंचायत की, अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए जिला पंचायत अधिकारी के

- 
1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश<sup>1</sup> तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-12 का लोप किया गया।
  2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश<sup>1</sup> तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-13 के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर रखे गये।
  3. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०-एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश<sup>1</sup> तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (i) के स्थान पर रखा गया।

- अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां;}
- (ii) भण्डारों की कमी के कारण हानि को बटे खाते डालना 5000/- रूपए प्रतिवर्ष। इससे अधिक के लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- (iii) मेलों, प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों इत्यादि पर व्यय की मंजूरी ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां।
- <sup>1</sup>(iv) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत पांच हजार रूपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी पांच हजार रूपए से अधिक और पंद्रह हजार रूपए तक प्रतिवर्ष और निदेशक पंद्रह हजार रूपए से अधिक प्रतिवर्ष;}
- (v) आकस्मिकताओं से प्रभारित आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए, जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है 500/-रूपए तक प्रति मास तक ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां। 500 रूपए से अधिक, लेकिन 1,000 रूपये तक जिला पंचायत अधिकारी और इससे अधिक के लिए निदेशक को पूर्ण शक्तियां।
- <sup>2</sup>(vi) स्टॉक फीस या ऐसे भण्डार, जो अनुपयोगी या निष्क्रीय है या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है, और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, के सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए प्रत्येक मद पर पांच हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए ग्राम पंचायत की पूर्ण शक्तियां, पांच हजार रूपए से अधिक और दस हजार रूपए तक के बही मूल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी की पूर्ण शक्तियां तथा प्रत्येक मद पर दस हजार रूपए से अधिक के बही मूल्य के लिए निदेशक की पूर्ण शक्तियां।}

**टिप्पणी—** समस्त व्यय बजट उपबन्धों के अध्योन किया जाएगा।

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच0—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (iv) के स्थान पर रखा गया।
2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच0—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (vi) के स्थान पर रखा गया।

**परिशिष्ट—‘ख’**

**पंचायत समिति की बाबत विभिन्न व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी**

<b>बजट शीर्ष</b>	<b>एस. ओ. ई.</b>	<b>सक्षम प्राधिकारी</b>
----01	वेतन	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। (1) राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई भर्ती नहीं की जाएगी। (2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भत्ते के संदाय की अनुमति नहीं होगी।
----02	मजदूरी	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
----03	यात्रा व्यय	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। निजी यान द्वारा यात्रा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होगी।
----04	कार्यालय व्यय (क) लेखन सामग्री (ख) डाक खर्च (ग) विद्युत (घ) जल (ङ) फर्नीचर	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। (I) पंचायत समिति केवल 100,000/- (एक लाख) रूपए तक; (II) जिला पंचायत अधिकारी 100,000/- (एक लाख) रूपए से अधिक और केवल 300,000/- (तीन लाख) रूपए तक; और (III) निदेशक 300,000/- (तीन लाख) रूपए से अधिक,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन:-

- (i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्ति यों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार है;

---

1. अधिसूचना संख्या: पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख 14-3-2017 के पुष्ट 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-04 के अधीन मद (ङ) और (च) के स्थान पर रखी गई।

- (ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;
  - (iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा;
  - (iv) फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर के अनुपयोगों होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;
  - (v) कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है; और
  - (vi) क्रय किया जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगा:—
    - (क) अध्यक्षः मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सेन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्द, फृट रेस्ट, फ्लोर कवरिंग मैटिंग/दरी और स्टील अलमारी;
    - (ख) बैठक हॉल: कुर्सियां, फ्लोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्द और मेज;
    - (ग) सचिवः मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;
    - (घ) अन्य पंचायत समिति सेवकः प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और
    - (च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।}
  - (छ) दूरभाष (बिना पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।  
एसो टी० डी० के)
- 5 वर्दियां पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों और कम पर)।
- 6 आतिथ्य / बैठकें राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथा अनुमोदित पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
- 7 भाड़े की दर और कर पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
- 8 मोटर यान,— पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
- (i) पी.ओ.एल.
  - (ii) रख—रखाव और मरम्मत

—09	पंचायत समिति भवन का निर्माण	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
—10	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां (राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित दरों और कम पर)।
—11	ऋण	नियम—28 के अधीन विहित मार्गदर्शन के अध्यधीन
<sup>1</sup> { <sub>12 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX }</sub>		
—13	विज्ञापन / प्रचार	पंचायत समिति दस हजार रुपए तक प्रतिवर्ष, जिला पंचायत अधिकारी को दस हजार रुपए से अधिक और बीस हजार रुपए तक प्रतिवर्ष की पूर्ण शक्तियां और बीस हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक निदेशक को पूर्ण शक्तियां; निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन:—
(i) पंचायत समिति, विज्ञापन देने के लिए, उक्त प्रयोजन का औचित्य संसूचित करते हुए, यथास्थिति, सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, जो पंचायत समिति द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् मंजूरी प्रदान कर सकेगा;		
(ii) विज्ञापन / प्रचार, राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;		
(iii) विज्ञापन / प्रचार, केवल पंचायत के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट अनुपालन से संबंधित होगा;		
(iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा अपितु यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और		
(v) कोई भी कार्योत्तर मंजूरी नहीं दो जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है }]		
—14	अपने कृत्या का निष्पादन	पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।
—15	प्रत्यायोजित कृत्यों के लिए राज्य वित्त आयोग	स्कीमों के लिए कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है जो कि पहले ही

- 
1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-12 का लोप किया गया।
  2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II. दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-13 के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर रखे गये।

### अनुदान

—16	अन्य पंचायतों को अनुदान
—17	प्रकीर्ण,—
	<sup>1</sup> (i)विधिक प्रभार
	(ii) स्टोर सामान की कमी के लेखे में हानि को बटटे खाते डालना
	(iii) मेलों, प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों इत्यादि पर व्यय की मंजूरी
	<sup>2</sup> (iv) जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।
	(v) आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

राज्य वित्त आयाग द्वारा अनुमोदित है। तथापि नई स्कीमों की मजूरी यदि पंचायत समिति द्वारा ली गई है, के लिए आवश्यक होगी।

पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।

पंचायत समिति को अधिवक्ता मुकर्रर करने के लिए, जिला पंचायत अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, पूर्ण शक्तियां।}

10,000/- रुपए प्रति वर्ष पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। इससे अधिक के लिए निदेशक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां।

पंचायत समिति पच्चीस हजार रुपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी पच्चीस हजार रुपए से अधिक और पचास हजार रुपए तक प्रतिवर्ष; तथा निदेशक पचास हजार रुपए से अधिक प्रतिवर्ष;

पंचायत समिति दस हजार रुपए तक प्रतिवर्ष; जिला पंचायत अधिकारी दस हजार रुपए से अधिक और पच्चीस हजार रुपए तक प्रतिवर्ष; तथा निदेशक पच्चीस हजार रुपए से अधिक प्रतिवर्ष;

- 
1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (i) के स्थान पर रखा गया।
  2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (iv), (v), (vi) के स्थान पर रखा गया।

(vi) स्टॉक या ऐसे भण्डार, प्रत्येक मद पर केवल 25000/- जो अनुपयोगी या (पच्चीस हजार) रूपए तक के बही निष्क्रीय हैं या जिन्हें मूल्य के लिए पंचायत समिति, अधिशेष घोषित किया 25000/- (पच्चीस हजार) रूपए से गया है और जिन्हें अधिक और केवल 50,000/- (पचास किसी उपयोग में नहीं हजार) रूपए तक के बही मूल्य के लाया जा सकता है, लिए जिला पंचायत अधिकारी तथा की सार्वजनिक 50,000/- (पचास हजार) रूपए से नीलामी द्वारा निपटान अधिक के बही मूल्य के लिए की मन्जूरी के लिए निवेशक।}

**टिप्पणी—** समस्त व्यय बजट उपबन्धों के अध्यधीन किया जाएगा।

#### परिशिष्ट—‘ग’

##### जिला परिषद् की बावत विभिन्न व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी

बजट शीर्ष	एस0ओ0ई0	सक्षम प्राधिकारी
----01	वेतन	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। (1) राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई भर्ती नहीं की जाएगी। (2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भत्ते के संदाय की अनुमति नहीं होगी।
----02	मजदूरी	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
----03	यात्रा व्यय	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। निजी यान द्वारा यात्रा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदशों द्वारा शासित होगी।
----04	कार्यालय व्यय,—  (क) लेखन सामग्री (ख) डाक खर्च (ग) विद्युत् (घ) जल	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।

<sup>1</sup>[(ङ) फर्नीचर

- (I) जिला परिषद केवल 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए तक; और
- (II) निदेशक 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपए से अधिक,

निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन:—

- (i) फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्म से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भण्डार नियन्त्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार हैं;
- (ii) आगामी तीन वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा;
- (iii) फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अध्यधीन किया जाएगा।
- (iv) फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अध्यधीन, बदला जाएगा;
- (v) क्रय किया जाने वाला फर्नीचर निम्नलिखित हकदारी की अपेक्षा और विवरण के अनुसार होगा:—
  - (क) अध्यक्ष: मेज, कुर्सी, आगन्तुकों के लिए सोफा सैट और कुर्सियां, सैन्टर टेबल, कपबोर्ड, घड़ी, पर्द, फुटरेस्ट, फ्लोर कवरिंग मैटिंग/दरी और स्टील अलमारी;
  - (ख) बैठक हॉल: कुर्सियां, फ्लोर कवरिंग मैटिंग/दरी, दीवार घड़ी, पर्द और मेज;
  - (ग) सचिव: मेज, कुर्सियां, स्टील अलमारी;
  - (घ) अन्य जिला परिषद् सेवक: प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज; और
  - (च) टाईपराइटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर और अन्य उपसाधन।]

(छ) दूरभाष (बिना  
एस०टी०डी०

जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।

1. अधिसूचना संख्या: पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख 14-3-2017 के पुष्ट 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीष-04 के अधीन मद (ङ) और (छ) के स्थान पर रखी गई।

—05	वर्दियां	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दरों और कम पर)।
—06	आतिथ्य / बैठकें	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
—07	भाड़े की दर और कर	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
—08	मोटर यान,— (i) पी.ओ.एल.	राज्य सरकार द्वारा आर्बाटित बजट तक सिमित जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
	(ii) रख—रखाव और मरम्मत	राज्य सरकार द्वारा आर्बाटित बजट तक सिमित जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
—09	जिला परिषद् भवन का निर्माण	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
—10	जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय	जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां (राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों और कम पर)।
—11	ऋण	नियम 28 के अधीन विहित, मार्गदर्शन के अध्यधीन।
—12	<sup>1</sup> {XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}	
—13	विज्ञापन / प्रचार	जिला परिषद् केवल 20,000/- (बीस हजार) रुपए तक प्रतिवर्ष, निदेशक 20,000/- (बीस हजार) रुपए से अधिक प्रतिवर्ष, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन:- (i) जिला परिषद्, विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन हेतु औचित्य संसूचित करते हुए, निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी जो जिला परिषद् द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात् मंजूरी प्रदान कर सकेगा;

- 
1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-12 का लोप किया गया।
  2. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4 / 2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-13 के विद्यमान उपबन्ध के रूपान्तर पर रखे गये।

- (ii) विज्ञापन/प्रचार राजनैतिक रूप से प्रेरित नहीं होगा;
- (iii) विज्ञापन/प्रचार पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान केवल उत्कृष्ट पालन से सम्बन्धित होगा;
- (iv) प्रचार सम्बद्ध पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा अपितु यह पंचायत की उपलब्धि को प्रतिबिम्बित करेगा; और
- (v) कोई भी कार्योक्तर मंजूरी नहीं दो जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है।}

- 14 अपने कृत्यों का निष्पादन जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
- 15 प्रत्यायोजित कृत्यों के जो कि पहले ही राज्य वित्त आयोग लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित है उस स्कीम के लिए कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि नई स्कीम की मंजूरी, यदि जिला परिषद् द्वारा ली गई है तो, अनुमोदन आवश्यक होगा।
- 16 अन्य पंचायतों को जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। अनुदान

—17 प्रकीर्ण,—

- (i) विधिक प्रभार निदेशक के अनुमोदन के अध्यधीन अधिवक्ता को वचनबन्ध करने को जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां।
- (ii) स्टोर सामान की 15,000/- रुपए प्रति वर्ष तक जिला कमी के लेखे में परिषद् की पूर्ण शक्तियां। इससे अधिक हानि को बटटे के लिए निदेशक का अनुमोदन खाते डालना अनिवार्य होगा।
- (iii) मेलों, प्रदर्शनों, जिला परिषद् की पूर्ण शक्तियां। प्रदर्शनियों इत्यादि पर व्यय की मंजूरी

<sup>1</sup>{(iv) जहां परिशिष्ट में जिला परिषद् केवल 50,000/- (पचास हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष और विनिर्दिष्ट नहीं है, निदेशक 50,000/- (पचास हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष; आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।

(v) जहां परिशिष्ट में जिला परिषद् केवल 20,000/- (बीस हजार) रूपए तक प्रतिवर्ष और विनिर्दिष्ट नहीं है, निदेशक 20,000/- (बीस हजार) रूपए से अधिक प्रतिवर्ष; और आकस्मिक व्ययों पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए।

(vi) स्टॉक या ऐसे प्रत्येक मद पर केवल 25,000/- भण्डार, जो (पच्चीस हजार) रूपए तक के बही अनुपयोगी या मूल्य के लिए जिला परिषद् और निष्क्रीय हैं या 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपए से जिन्हें अधिषेष अधिक के बही मूल्य के लिए घोषित किया गया है और जिन्हें किसी नहीं उपयोग में लाया जा सकता है, की सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए निदेशक।}

**टिप्पणी—** समस्त व्यय बजट उपबन्धों के अध्यधीन किया जाएगा।

1. अधिसूचना संख्या: पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 14-3-2017 के पुष्ट 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा बजट शीर्ष-17 के अन्तर्गत मद (iv), (v), (vi) के स्थान पर रखा गया।

### परिशिष्ट—‘घ’

**खाता—क और ख में से व्यय के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और  
तकनीकी मन्जूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी।**

क्र0 सं0	निधियों का नाम	पंचायत द्वारा निष्पादित प्रशासनिक किए जाने वाले संकर्म	अनुमोदन व्यय अनुदत्त वाला प्राधिकारी	तकनीकी मन्जूरी अनुदत्त करने सक्षम प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मूल संकर्म	¹{(क)ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले केवल (3,00,000/- (तीन लाख लाख) रुपए तक की लागत के संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
		(ख) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले केवल (3,00,000/- (तीन लाख लाख) रुपए से अधिक और 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपए तक की लागत के संकर्म	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता}
		(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाने वाले संकर्म 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के	ग्राम पंचायत	सहायक अभियन्ता

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) ४/२०११-II.- दिनांक ६ मार्च, २०१७ राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख १४-३-२०१७ के पुष्ट ८२०१-८२११ पर प्रकाशित द्वारा परिशिष्ट—‘घ’ में क्रम संख्या: १ में, मद (क) और (ख) के स्थान पर रखा गया।

	(घ) ग्राम पंचायत द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	अधिशासी अभियन्ता
	(ङ) पचांयत समिति द्वारा 5.00 लाख तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पचांयत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
	(च) पचांयत समिति द्वारा 5.00 लाख ₹ से अधिक और 10.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पचांयत समिति	सहायक अभियन्ता
	(छ) पचांयत समिति द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पचांयत समिति	अधिशासी अभियन्ता
2.	(ज) जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	सहायक अभियन्ता
	(झ) जिला परिषद् द्वारा 10.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	जिला परिषद्	अधिशासी अभियन्ता
	(क) ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	ग्राम पंचायत	तकनीकी सहायक
	(ख) ग्राम पंचायत द्वारा 50,000 ₹ से अधिक और 1.50 लाख ₹	ग्राम पंचायत	कनिष्ठ अभियन्ता

तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म		
(ग) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म		सहायक अभियन्ता
(घ) ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म		अधिशासी अभियन्ता
(ङ) पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	कनिष्ठ अभियन्ता
(च) पंचायत समिति द्वारा 1.50 लाख ₹ से अधिक और 3.00 लाख ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	सहायक अभियन्ता
(छ) पंचायत समिति द्वारा 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म	पंचायत समिति	अधिशासी अभियन्ता
(ज) जिला परिषद् द्वारा जिला परिषद् 3.00 ₹ तक की लागत के निष्पादित किए जाने वाले संकर्म		सहायक अभियन्ता
(झ) जिला परिषद् द्वारा जिला परिषद् 3.00 लाख ₹ से अधिक की लागत		अधिशासी अभियन्ता}

के निष्पादित किए  
जाने वाले संकर्म

3	जलागमन (वाटरशैड), सुनिश्चित रोज़गार योजना, और भारत सरकार से प्राप्त अन्य स्कीमें	भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार।	
4	भवन को तोड़ने, उसके विक्रय या उसकी सामग्री को बट्टे खाते डालने की मंजूरी।		
	(क) ग्राम पंचायत के भवन जिनका बही मूल्य 5,000/- रु0 तक है	ग्राम पंचायत। तकनीकी सहायक।	
	(ख) ग्राम पंचायत के भवन जिनका बही मूल्य 10,000/- रु0 तक है	ग्राम पंचायत। कनिष्ठ सहायक।	
	(ग) ग्राम पंचायत के भवन जिनका बही मूल्य 10,000/- रु0 से अधिक और 50,000/- रु0 तक है, और पंचायत समिति के भवन भी, जिनका बही मूल्य 50,000/- रु0 तक है।	पंचायत समिति। सहायक अभियन्ता।	
	(घ) ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के भवन, जिनका बही मूल्य 50,000/- रु0 से अधिक है और जिला परिषद् के भवन भी जिनके बही मूल्य की कोई भी रकम हो	(क) 3.00 लाख रु0 तक जिला परिषद्। (ख) 3.00 लाख से अधिक, निदेशक। (ग) 5.00 लाख से अधिक, राज्य सरकार।	अधिशासी अभियन्ता

**टिप्पणी:**

- (i) खाता 'ख' में से पंचायतों द्वारा निष्पादित किए गए संकर्मों के लिए अलग प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी अपेक्षित नहीं है और संकर्मों/स्कीमों के लिए अनुदान स्वीकृत करने वाले किसी निधिकरण अभिकरण के आदेश प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी के रूप में समझे जाएंगे।
- (ii) पंचायतें किसी वित्तीय सीमा के खाता— 'क' में से किसी संकर्म/स्कीम की मंजूरी और निष्पादन को सक्षम होगी।

**परिशिष्ट—ड  
[नियम—96 (1) देखें]**

**करार**

यह करार, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्—तहसील—जिला—, हिमाचल प्रदेश के सचिव के द्वारा, जिसे इसमें प्रथम पक्ष कहा जाएगा, और \_\_\_\_\_<sup>1</sup>[संकर्म समिति]/रजिस्ट्रीकृत निकाय के अध्यक्ष के द्वारा, जिसे इसमें द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के बीच आज— दिवस—दो हजार—को किया गया।

जैसा कि—प्रथम पक्ष ने— संकर्म के निष्पादन का आशय किया है। जिसकी कुल लागत—रूपए है (शब्दों में)

और जैसा कि द्वितीय पक्ष—दिनों/महीने के भीतर पक्षकारों के बीच सहमति के बाद, निबन्धनों और शर्तों पर उक्त संकर्म के निष्पादन को सहमत हुआ है।

अतः एतद्वारा और पक्षकारों के बीच निम्न रूप में सहमति से करार किया जाता है:-

- (1) यह कि संकर्म हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विनिर्देशों के अनुसार और प्रथम पक्ष की, इसके तकनीकी प्राधिकारियों के माध्यम से, तुष्टि के अनुसार किया जाएगा।
- (2) यह कि संकर्म द्वितीय पक्ष द्वारा — दिनों/महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा और सामग्री और मजदूरी इत्यादि में लागत की बढ़ौतरी के लेखे में कोई अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा।
- (3) यह कि द्वितीय पक्ष, मजदूरों को, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का संदाय करेगा।
- (4) यह कि द्वितीय पक्ष समस्त लागू निबन्धन और अन्य प्रभार, जैसे कि विक्रय कर, आय कर, रायल्टी इत्यादि, स्वयं वहन करेगा।
- (5) यह कि द्वितीय पक्ष, संकर्म के निष्पादन से किसी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को हुआ नुकसान, यदि कोई हो, की प्रथम पक्ष की सहमति से क्षतिपूर्ति करेगा।
- (6) यह कि संकर्म के निष्पादन में किसी त्रुटि की दशा में, जैसा कि प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इंगित किया गया है, उसे द्वितीय पक्ष

---

1. अधिसूचना संख्या:पीसीएच०—एचए (3) 4/2011-II.- दिनांक 6 मार्च, 2017 राजपत्र, हिमाचल प्रदे”। तारीख 14-3-2017 के पृष्ठ 8201-8211 पर प्रकाशित द्वारा शब्दों “सहभागिता समिति” के स्थान पर रखे गय।

द्वारा, किसी अतिरिक्त दावे के बिना, प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार, उसमें सुधार किया जाएगा।

- (7) यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा संदर्भ किए गए चालू अन्तिम बिलों से पहले, मूल बिल / वाउचर प्रस्तुत करेगा।
  - (8) यह कि द्वितीय पक्ष, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, कार्य, कराधान और भत्ते) नियम, 2001 के अध्याय-XI के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए संकर्मों को निष्पादित करेगा।
- साक्षी के रूप में, दोनों पक्षों न इस करार पर हस्ताक्षर किए।

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर साक्षी	द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर साक्षी
1.....	1.....
2.....	2.....
3.....	3.....

-----

### प्र० १

{नियम 12 (1) और 27(1) देखें}

#### विनिधानों के लिए रजिस्टर

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....जिला.....का कार्यालय।

क्रम संख्या	परकाम्य उपकरणों सरकारी प्रतिभूतिया के कथ की तारीख	संख्या और तारीख, यदि कोई हो, सहित परकाम्य उपकरणों/सरकारी प्रतिभूतियों का विवरण	रकम	ब्याज की दर	ब्याज की देय तारीख
1	2	3	4	5	6

सचिव के हस्ताक्षर	ब्याज की वसूली की तारीख और लेखे में समायोजन	ब्याज की वसूली की रकम और लेखे में समायोजन	लेखे का शीर्ष, जिसमें जमा किया गया	सचिव के हस्ताक्षर
7	8	9	10	11

टिप्पण: जो लागू नहीं है काट दें।

### प्र० २

{नियम 12(2) और 27(2) देखें}

#### भविष्यनिधि विनिधान/लेखा.....विनिधानों का कथ

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्.....जिला.....का कार्यालय।

क्रम संख्या	तारीख	बिल संख्या	विनिधान का वर्णन	अभिहित मूल्य रूपए: पैसे
1	2	3	4	5